शहरी विकास विभाग

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रः दिल्ली सरकार

9वां तल, सी–विंग, दिल्ली सचिवालय, इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली

विधायक का नाम : श्री राजेश गुप्ता

दिनांक : 23.08.2019

विधान सभा तारांकित प्रश्न संख्या : 31

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :–

क्र. सं.	प्रश्न	उत्तर
क	वज़ीरपुर विधानसभा क्षेत्र में अनधिकृत कॉलोनियों की संख्या;	वजीरपुर विधानसभा के अन्तर्गत 02 अनाधिकृत कॉलोनी आती हैं ।
ख	क्या उन सबको नियमित कर दिया गया है या कहीं कोई रुकावट है;	जी नहीं, अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितिकरण की प्रक्रिया केन्द्र सरकार के पास विचाराधीन है ।
ग	यदि कोई रुकावट है तो उसका ब्यौरा;	उपरोक्त 'ख' के अनुसार ।
घ	इन कॉलोनियों में गलियों, नालियों, पानी व सीवर के रख–रखाव के लिए क्या व्यवस्था की गई है और इन व्यवस्थाओं के लिए कौन–सी एजेंसी/विभाग उत्तरदायी है; और	इन कॉलोनियों में गलियों, नालियों, पानी व सीवर के रख–रखाव की व्यवस्था और उत्तरदायी एजेंसियां का विवरण इस प्रकार हैः– **दिल्ली जल बोर्ड** ने बताया है कि इन कॉलोनियों में पानी व सीवर के रखरखाव के लिए पूर्वकाल में लाईनें बिछाई जा चुकी है एवं दिल्ली जल बोर्ड इनकी व्यवस्था के लिए उत्तरदायी है । **सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण विभाग** ने बताया है कि अनाधिकृत कॉलोनी पंजीकरण न0 46 में S.O.I (GSDL) मानचित्र उपलब्ध नहीं होने के कारण विकास कार्य हेतु कोई प्रकिया नहीं की जा सकी है तथा दूसरी अनाधिकृत कॉलोनी पंजीकरण न0 98 में विकास कार्य डी.एस.आई.आई.डी.सी. द्वारा दिनांक 14.10.2016 को पूर्ण किया गया है । इसलिए सिंचाई एवं बाढ़ नियन्त्रण विभाग द्वारा अनाधिकृत कॉलोनी पंजीकरण न0 98 में कोई योजना नहीं बनाई जा सकती क्योंकि पुराने विकास कार्यों का 5 वर्ष कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है ।
ङ	जिस अवधि के दौरान ये कॉलोनियाँ अस्तित्व में आईं, उसका ब्यौरा व इन्हें अब तक नियमित न किए जाने के कारण?	इनमें से एक कॉलोनी जिसकी पंजीकरण संख्या 346 है उसका आवेदन 2004 में शहरी विकास विभाग में प्राप्त हुआ और दूसरी कॉलोनी जिसकी पंजीकरण संख्या 98 ई एल डी है । उसका आवेदन 2008 में प्राप्त हुआ । इन कॉलोनियों के अब तक नियमितिकरण न होने के कारण (ख) में उल्लेखित है ।

Dy. Secretary (U.D./P.C.)
Govt. of N.C.T. of Delhi
Delhi Secretariat
I.P. Estate, New Delhi-02

तारांकित प्रश्न संख्या : 31

दिनाक : 23–08–2019

प्रश्नकर्ता का नाम : श्री राजेश गुप्ता

पूरक सामग्री

वजीरपुर विधानसभा में दो अनाधिकृत कालोनिया (1) वजीरपुर एक्सटेंशन (अशोक विहार गॉव) पंजी.नं. 346 (2) अशोक विहार गॉव, फेज–1 पंजीं. नं. 98 की जानकारी कमशः निम्नलिखित है।

(1) वजीरपुर एक्सटेंशन (अशोक विहार गॉव) पंजी.नं. 346 :– इस कालोनी का S.O.I . (GSDL) मानचित्र उपलब्ध नहीं है जिसके विकास कार्य हेतु अभी कोई प्रकिया शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार के दिशानिर्देशानुसार नहीं की जा सकी है।

(2) अशोक विहार गॉव, फेज–1 पंजीं. नं. 98:– इस कालोनी का विकासीय कार्य DSIIDC के द्वारा दिनांक 14–10–2016 को पूर्ण किया गया है । इसलिए इस विभाग द्वारा कोई योजना नहीं बनाई जा सकती है क्योकि शहरी विकास विभाग, दिल्ली सरकार के दिशानिर्देशानुसार पुराने विकास कार्यो का पांच वर्ष का कार्यकाल पूरे होने के पश्चात् ही योजना बनाई जा सकती है। अभी इस कार्य को पॉच वर्ष पूर्ण नही हुए है।

शिव कुमार

Surveyor of Works
Irr. & Flood Control Deptt.
Govt. of NCT of Delhi

परक सूचनाः– अनाधिकृत कॉलोनी, शहरी विकास विभाग

दिल्ली के शहरी विकास विभाग ने भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा भारत सरकार के संशोधित दिशा–निर्देश 2007 के मद्देनजर अनाधिकृत कॉलोनियों के नियमितीकरण के लिए आवेदन अमिंत्रित करने के लिए नवम्बर 2007 में सार्वजनिक सूचना जारी की । इस सार्वजनिक सूचना के जवाब में, शहरी विभाग को वर्ष 2007–08 में RWA के 1639 (भागों के साथ 1797) आवेदन प्रापत हुए । वर्ष 2008 में 1218 कॉलोनियों का PRC (Provisional Regularisation Certificate) दिये गए । दिल्ली सरकार ने भारत सरकार को पत्र दिनांक 21.04.2016 के द्वारा अनाधिकृत कॉलोनियों की विनियमत की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु आवेदन किया था । जिसके जवाब में भारत सरकार द्वारा अपने पत्र दिनांक 15.09.2016 एवं 19.09.2016 के द्वारा जानकारी मांगी गई थी । जैसे कि अनाधिकृत कॉलोनियों की सीमा निर्धारण, जनसंख्या, प्लॉटों की संख्या, बसावट प्रतिशत आदि मॉगी गई है । सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा सीमाओं को अनुचित चित्रण, भूमि स्थित रिर्पोट का मिलान न होना, एक से अधिक अनाधिकृत कॉलोनियों के Lay out Plan का एक दूसरे पर ढ़क लेना, वन विभाग आपत्ति, भारतीय पुरातत्व विभाग प्रतिबंधन और डी.डी.ए. से रूकावट का निर्धारण न हो पाना, आकाशीय चित्रों में अनाधिकृत कॉलोनियों के कुछ क्षेत्रों का न दिखना । इत्यादि कारणों की वजह से अनाधिकृत कॉलोनियों की सीमा निर्धारण नहीं हो सकी और अब कॉलोनियों को सीमा निर्धारण सर्वे ऑफ इण्डिया द्वारा कराया जाएगा । इसके अतिरिक्त भारत सरकार के द्वारा Draft Cabinet Note दिल्ली सरकार के पास दिनांक 11.07.2019 को टिप्पणी हेतु भेजा गया था, जिसपर दिल्ली सरकार ने टिप्पणी भारत सरकार को भेज दी है । भारत सरकार द्वारा संशोधित नियमितिकरण के नोटीफाई होने के उपरान्त उसके अनुसार नियमितिकरण की कार्यवाही की जाएगी ।

DS (UC)